क्रम संख्या–59 (ख) पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 29, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 189 / XXXVI(3) / 2018 / 31(1) / 2018

देहरादून, 19 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 21 वर्ष, 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2018)

दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005), उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005) एवं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

2\. दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:

14(1) राज्य सरकार द्वारा कुलसचिव, उपकुलसचिव, और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति "केन्द्रीयकृत सेवानियमावली," के माध्यम से ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005 की धारा 13 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

3\. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:

13(1) राज्य सरकार द्वारा कुलसचिव, उपकुलसचिव, और सहायक कुलसचिव की नियुक्ति "केन्द्रीयकृत सेवानियमावली" के माध्यम से ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायेगी, जैसा विहित किया जाय।

उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011 की धारा 14 की उपधारा (2) का निरसन	4.	श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 14 की उपधारा (2) एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 189/XXXVI(3)/2018/31(1)/2018
Dated Dehradun, April 19, 2018

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Miscellaneous University (Amendment) Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: **21** of **2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 18 April, 2018.

The Uttarakhand Miscellaneous University (Amendment) Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 21 of 2018)

further to amend the Doon University Act, 2005 (Uttarakhand Act no 18 of 2005), Uttarakhand Open University Act, 2005 (Uttarakhand Act no 23 of 2005) and Sri Dev Suman Uttarakhand Universtiy Act, 2011 (Uttarakhand Act no 22 of 2011).

AN
ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-ninth year of the Republic of India-

Short Title and Commencement	**1.**	(1) This Act may be called the Uttarakhand State University (Amendment) Act, 2018. (2) It shall come into force from the date of Notification by the State Government.

Substitution of subsection (1) of section 14 of the Uttarakhand Act no 18 of 2005

2. In the Doon University Act, 2005 subsection (1) of section 14 shall be substituted as follows, namely-

14(1) Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be appointed by The State Government through "Centralised service Rules" in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

Substitution of subsection (1) of section 13 of the Uttarakhand Act no 23 of 2005

3. In the Uttarakhand Open University Act, 2005, subsection (1) of section 13 shall be substituted as follows, namely-

13(1) Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar shall be appointed by The State Government through "Centralised service Rules" in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

Repeal of Subsection (2) of Section 14 of the Uttarakhand Act No 22 of 2011

4. Subsection (2) of Section 14 of the Sri Dev Suman Uttarakhand University Act, 2011 is hereby repealed.

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का कथन

दून विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2005) की धारा 14 की उपधारा (1) में कुलसचिव की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निवन्धनों और शर्तो पर की जायेगी, जो कि विहित किये जाये, की व्यवस्था उपबंधित की गयी थी।

2. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005) की धारा 13 की उपधारा (1) में कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, की व्यवस्था उपबंधित की गयी थी।

3. श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2011) की धारा 14 की उपधारा (2) में कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी:

परन्तु यह कि यदि किन्ही कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है और पद रिक्त रहता है तो राज्य सरकार प्रति नियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगी, की व्यवस्था उपबंधित की गयी थी।

4. उपरोक्त प्राविधानों में एकरूपता न होने के कारण कुलसचिवों की नियुक्ति दुष्कर हो जाती है एवं नियुक्त कुलसचिवों का स्थानान्तरण नहीं हो पाता है, जिससे कार्यकुशलता प्रभावित होती है। अतः सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों का एक केन्द्रीकृत कैडर करने हेतु उपरोक्त अधिनियमों में कुलसचिवों की नियुक्ति विषयक प्राविधानों को संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 विधायी/239–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।